भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 401
(04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत एबीपीएस

401. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) में आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के विरुद्ध रिपोर्ट किए गए मामलों का ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा समस्या के समाधान के लिए किए गए उपाय क्या हैं;
(ख) क्या सरकार को फर्जी जॉब कार्ड के मुद्दे को लेकर चिंताएं हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार के पास इस योजना के अंतर्गत शिकायतों के निपटान के लिए लोकपाल नियुक्त करने वाले राज्यों के बारे में कोई डेटा है;
(ङ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में राज्यवार/जिलावार ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का विचार लाभार्थियों के अनुरोध पर उनके कार्य दिवसों को 100 से 150 दिनों तक बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या में बार-बार बदलाव और बाद में यह अद्यतन न होने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से मजदूरी के भुगतान का लाभार्थियों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि भुगतान सीधे इच्छित लाभार्थियों के खातों में पहुंचे। कुल 13.41 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 13.34 करोड़

(99.47%) सक्रिय श्रमिकों की आधार सीडिंग पहले ही पूरी हो चुकी है (29.01.25 तक की स्थिति अनुसार)। 100% आधार सीडिंग और नरेगा सॉफ्ट में एपीबीएस रूपांतरण प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की निरंतर निगरानी की जा रही है । जब भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या किन्हीं अन्य हितधारकों द्वारा कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उसे प्राथमिकता आधार पर निपटाया जाता है।

(ख) और (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है। जॉब कार्डों को अद्यतन करना/हटाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाने वाला एक नियमित कार्य है। जॉब कार्ड हटाए जाने का एक कारण फर्जी जॉब कार्डों की घटनाएं हैं। जॉब कार्ड हटाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में 01.02.2025 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जॉब कार्ड हटाने और बहाली के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी महात्मा गांधी नरेगा दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है , पारदर्शिता को बढ़ावा देता है , जॉब कार्ड हटाने के लिए शर्तों को परिभाषित करके श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है , शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करता है , और हटाने/ रद्द करने से पहले लंबित देनदारियों का निपटान सुनिश्चित करता है।

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में उचित प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया गया है , जिसमें हटाए जाने के लिए चिह्नित जॉब कार्डों की मसौदा सूचियों का प्रकाशन , ग्राम सभाओं में सत्यापन और प्रभावित श्रमिकों के लिए अपील का अधिकार शामिल है। इसमें डुप्लिकेट और धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए जॉब कार्ड को आधार से जोड़ना भी अनिवार्य किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य जॉब कार्डों के दुरुपयोग को रोकना है , साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक लाभार्थी वंचित न रहें। मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा योजना की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस योजना का लाभ पात्र ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे।

(घ) और (ड.): आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त लोकपालों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(च): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को , जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार हों , प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का अधिनियम है।

मंत्रालय ने वन क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार को अतिरिक्त 50 दिन का मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों से अधिक) प्रदान करने का अधिदेश दिया है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) , 2006 के तहत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

इसके अलावा, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिनों तक मजदूरी रोजगार का प्रावधान है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3 (4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने स्वयं के धन से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से परे रोजगार के अतिरिक्त दिन प्रदान करने का प्रावधान कर सकती हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 401 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोकपाल की स्थिति (१9.01.2025 की स्थिति अनुसार)			
क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या जहां मनरेगा संचालित है	नियुक्त लोकपाल
1	आंध्र प्रदेश	26	13
2	अरुणाचल प्रदेश	25	8
3	असम	35	25
4	बिहार	38	33
5	छत्तीसगढ़	33	22
6	गोवा	2	0
7	गुजरात	33	25
8	हरियाणा	22	18
9	हिमाचल प्रदेश	12	7
10	जम्मू और कश्मीर	20	16
11	झारखंड	24	23
12	कर्नाटक	31	31
13	केरल	14	14
14	लद्दाख	2	2
15	मध्य प्रदेश	52	12
16	महाराष्ट्र	34	29
17	मणिपुर	16	15
18	मेघालय	12	8
19	मिजोरम	11	10
20	नागालैंड	11	10
21	ओडिशा	30	22
22	पंजाब	23	21
23	राजस्थान	33	33
24	सिक्किम	6	1
25	तमिलनाडु	37	37
26	तेलंगाना	32	32
27	त्रिपुरा	8	8

28	उत्तर प्रदेश	75	72
29	उत्तराखंड	13	13
30	पश्चिम बंगाल	23	22
31	अंडमान और निकोबार	3	1
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1
33	लक्षद्वीप	1	0
34	पुदुचेरी	2	1
	कुल	**740**	**585**

यह सूचना नरेगासॉफ्ट के एमआईएस (www.nrega.nic.in) पर उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है।